

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

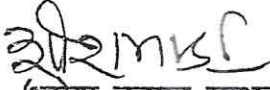
क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे I/II Transfer / 251

दिनांक :- 01.06.2023

आदेश संख्या : 15/2023-24

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

| क्र. सं. | लिंक नम्बर | नाम (संवर्गी)       | वर्तमान पदस्थापन स्थान                                          | नव पदस्थापन कार्यालय का नाम                                | विशेष विवरण                    |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2          | 3                   | 4                                                               | 5                                                          | 6                              |
| 1        | 12064      | संतोष कंवर, सलेअ-II | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बरसी जिला जयपुर                     | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झोटवाडा                 | सीमा बाबल, सलेअ-II के स्थान पर |
| 2        | 2348       | रामकेश मीणा, सलेअ-I | उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर | कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली                              | सलेअ-I के रिक्त पद पर          |
| 3        | 5517       | मंशाराम जाट, सलेअ-I | आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय में                            | राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर, जयपुर | सलेअ-I के रिक्त पद पर          |

  
(भूपेश कुमार माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे I/II/Transfer / 251  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 01.06.2023

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- कोषाधिकारी .....
- श्री .....सलेअ-I/सलेअ-II, कार्यालय ..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
- निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(के.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)